



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 49 अंक 17

Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>

15 अक्टूबर, 2026

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं में करियर कैसे बनाएं मानव सेवा और समाज सेवा करते हुए संवारिए अपना करियर

- श्रीमती नवरेखा

स्वास्थ्य सेवा किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, वृद्धजन देखभाल केंद्र, होम केयर सेवाएँ, टेलीहेल्थ सेवाएँ और स्वास्थ्य संस्थान आज पहले से अधिक संगठित और सेवा-केंद्रित होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल डॉक्टर और नर्स तक सीमित नहीं है। इनके साथ अनेक सहयोगी भूमिकाएँ भी होती हैं, जिनके बिना स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारु रूप से काम नहीं कर सकती। इसी कारण हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाएँ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रही हैं। इस क्षेत्र में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मल्टीस्किल्ड हेल्थ असिस्टेंट, इमरजेंसी केयर असिस्टेंट, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, टेलीहेल्थ सर्विसेज कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, वृद्धजन देखभाल और केयरगिवर जैसी भूमिकाएँ शामिल हो सकती हैं। यह क्षेत्र उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकता है जिनमें सेवा भाव, अनुशासन, साफ-सफाई, धैर्य, समय पर काम और लोगों की सहायता करने में रुचि हो। सही प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव के साथ युवा अस्पतालों, क्लिनिकों, होम केयर सेवाओं, वृद्धजन देखभाल केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य-संबंधी संस्थानों में अवसर खोज सकते हैं।

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाएँ क्या हैं ?

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं का अर्थ है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में डॉक्टर, नर्स, विशेषज्ञ और प्रशासनिक टीम को सहयोग देने वाली सेवाएँ। इन सेवाओं में मरीज की सामान्य देखभाल, अस्पताल की व्यवस्था, मरीज और परिजन को मार्गदर्शन, रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क कार्य, टेलीहेल्थ समन्वय, आपातकालीन सहायता, वृद्धजन देखभाल और अस्पताल की स्वच्छता जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। इन भूमिकाओं में काम करने वाले व्यक्ति को केवल तकनीकी कार्य ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता, गोपनीयता, धैर्य, स्वच्छता और पेशेवर व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। मरीज और उनके परिवार कठिन परिस्थिति में होते हैं, इसलिए हेल्थकेयर सपोर्ट स्टाफ का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है।

इस क्षेत्र में मांग क्यों बढ़ रही है ?

स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कई कारणों से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, निजी अस्पताल और क्लिनिक बढ़ रहे हैं, वृद्धजन देखभाल की आवश्यकता बढ़ रही है, होम केयर सेवाएँ विकसित हो रही हैं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है। आज कई परिवारों को बुजुर्गों, रोगियों या स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षित सहयोगी की आवश्यकता होती है। अस्पतालों को मरीज सहायता, फ्रंट डेस्क, वार्ड सहयोग, साफ-सफाई, बुनियादी स्वास्थ्य सहयोग और समन्वय कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होती है। टेलीहेल्थ सेवाओं में भी मरीज और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के बीच संपर्क, रिकॉर्ड और समन्वय की भूमिका विकसित हो रही है। इसलिए यह क्षेत्र केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। जिला मुख्यालयों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता बढ़ सकती है।

इस क्षेत्र में करियर बनाने हेतु महत्वपूर्ण बातें

सेवा भाव और अनुशासन विकसित करें

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं में काम करने के लिए सेवा भाव बहुत आवश्यक है। मरीज, बुजुर्ग या उनके परिजन कई बार चिंता और तनाव में होते हैं। ऐसे समय में सहयोगी व्यक्ति को शांत, विनम्र और जिम्मेदार रहना चाहिए। समय पर पहुँचना, निर्देशों का पालन करना, साफ-सुथरा रहना, कार्य को गंभीरता से करना और मरीज की गरिमा का सम्मान करना इस क्षेत्र की मूल आवश्यकताएँ हैं।

बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता की समझ लें

इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, हाथ धोने की सही विधि, साफ कपड़े, सुरक्षित कचरा प्रबंधन, मरीज के आसपास साफ वातावरण और व्यक्तिगत सुरक्षा की मूल जानकारी होनी चाहिए। अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में छोटी लापरवाही भी गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए स्वच्छता और सुरक्षा के नियमों को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए।

मरीज से संवाद करना सीखें

मरीज से बात करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। हेल्थकेयर सपोर्ट स्टाफ को स्पष्ट, सरल और सम्मानजनक भाषा में संवाद करना चाहिए। कई बार मरीज को पानी, सहायता, दिशा, व्हीलचेयर, दस्तावेज, डॉक्टर के कमरे, जांच केंद्र या दवा काउंटर के बारे में जानकारी चाहिए होती है। सही संवाद से मरीज और परिजन को भरोसा मिलता है। गलत

संवाद या रुखा व्यवहार संस्था की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र प्राप्त करें

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं में प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। युवा संबंधित कौशल विकास केंद्रों, प्रशिक्षण संस्थानों और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण में व्यावहारिक अभ्यास अवश्य होना चाहिए। प्रशिक्षण लेते समय युवा यह अवश्य जाँचें कि पाठ्यक्रम किस संस्था या योजना के अंतर्गत है, उसकी वर्तमान उपलब्धता क्या है, पात्रता क्या है, प्रशिक्षण अवधि क्या है, प्रमाणपत्र कैसा होगा और प्रशिक्षण में व्यावहारिक अभ्यास कितना मिलेगा।

गोपनीयता और नैतिकता को समझें

स्वास्थ्य सेवा में मरीज की जानकारी बहुत संवेदनशील होती है। किसी मरीज की बीमारी, दवा, जांच, व्यक्तिगत जानकारी या पारिवारिक स्थिति को बिना अनुमति दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। हेल्थकेयर सपोर्ट स्टाफ को गोपनीयता, सम्मान, नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। यह केवल नौकरी का नियम नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है।

तकनीक और रिकॉर्ड की मूल जानकारी रखें

आज अस्पतालों और क्लिनिकों में कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टेलीहेल्थ और डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर,

मोबाइल, रिकॉर्ड संभालने और डिजिटल संवाद की जानकारी भी उपयोगी हो सकती है। विशेष रूप से फ्रंट डेस्क, टेलीहेल्थ, रिकॉर्ड समन्वय और मरीज सहायता की भूमिकाओं में यह कौशल महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस क्षेत्र में प्रमुख रोजगार अवसर

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओ में कई प्रकार की भूमिकाएँ उपलब्ध हो सकती है। कुछ प्रमुख अवसर इस प्रकार है :-

जनरल ड्यूटी असिस्टेंट
जनरल ड्यूटी असिस्टेंट अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में मरीज देखभाल, वार्ड सहयोग, मरीज को ले जाने-लाने, बुनियादी सहायता और नर्सिंग टीम को सहयोग देने जैसे कार्यों में मदद कर सकता है।
मल्टीस्किल्ड हेल्थ असिस्टेंट

यह भूमिका स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार के सहयोगी कार्यों से जुड़ी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कई छोटे-छोटे कार्यों की बुनियादी समझ और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

इमरजेंसी केयर असिस्टेंट
आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य टीम को सहयोग देना, मरीज को व्यवस्थित तरीके से संभालना, प्राथमिक सहायता व्यवस्था में मदद करना और निर्देशों के अनुसार कार्य करना इस भूमिका का हिस्सा हो सकता है।
हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर

यह व्यक्ति मरीज और अस्पताल के बीच प्रथम संपर्क बिंदु हो सकता है। अपॉइंटमेंट, जानकारी, रजिस्ट्रेशन, मार्गदर्शन, दस्तावेज और समन्वय से जुड़े कार्य इसमें शामिल हो सकते हैं।

टेलीहेल्थ सर्विसेज कोऑर्डिनेटर
डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओ में मरीज, डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्था के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। टेलीहेल्थ सेवाओ में अपॉइंटमेंट, कॉल, डिजिटल रिकॉर्ड और सेवा समन्वय का कार्य हो सकता है।
हॉस्पिटल हाउसकीपिंग

अस्पताल में सफाई, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और व्यवस्थित वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग सामान्य सफाई से अधिक जिम्मेदार कार्य है, क्योंकि यह मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है।

वृद्धजन देखभाल / केयरगिवर
वृद्धजन, चलने-फिरने में असमर्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य लाभ कर रहे मरीज या घर पर देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर की आवश्यकता हो सकती है। इसमें सहायता, देखभाल, समय पर दवा की याद, स्वच्छता, भोजन सहयोग और भावनात्मक सहारा जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। दवा देना या चिकित्सा संबंधी कार्य केवल पात्र और अधिकृत स्वास्थ्यकर्मों के निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए।
होम केयर असिस्टेंट

कई मरीज अस्पताल से घर आने के बाद भी सहायता चाहते हैं। ऐसे में होम केयर सेवाओं में प्रशिक्षित सहयोगी की जरूरत हो सकती है। इसमें मरीज की दैनिक सहायता, परिवार को सहयोग और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन शामिल हो सकता है।

राजस्थान में अवसर
राजस्थान में हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओ की उपयोगिता शहरों और कस्बों दोनों में है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर और अन्य जिलों में अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, वृद्धजन देखभाल सेवाएँ, होम केयर सेवाएँ और स्वास्थ्य संस्थान युवाओ के लिए अवसर दे सकते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओ, निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों, दवा दुकानों से जुड़े सहयोगी कार्यों, होम केयर और वृद्धजन देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार होने के साथ प्रशिक्षित और जिम्मेदार हेल्थकेयर सपोर्ट स्टाफ की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है।

RSLDC का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की उपलब्ध पाठ्यक्रम सूची में हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओ से जुड़े अनेक जॉब रोल शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम युवाओ को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोगी भूमिकाओं के लिए तैयार करने में उपयोगी हो सकते हैं। उपलब्ध सूची के अनुसार कुछ संबंधित जॉब रोल इस प्रकार हैं:

- इमरजेंसी केयर असिस्टेंट
- जनरल ड्यूटी असिस्टेंट- एडवांस्ड
- मल्टीस्किल्ड हेल्थ असिस्टेंट
- टेलीहेल्थ सर्विसेज कोऑर्डिनेटर
- हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर
- एल्डरली केयरटेकर नॉन क्लिनिकल

इसके अतिरिक्त, विशेष योजना की पाठ्यक्रम सूची में Domestic Assistant - Elderly Care और Hospital Housekeeping जैसे पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो वृद्धजन देखभाल और अस्पताल सहयोगी सेवाओ से संबंधित हैं। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी को RSLDC

अथवा अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र से पाठ्यक्रम की वर्तमान उपलब्धता, पात्रता, बैच, प्रशिक्षण स्थल, शुल्क, प्रमाणपत्र और अन्य शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम का नाम सूची में होना और वर्तमान में किसी विशेष जिले या प्रशिक्षण केन्द्र पर उसका बैच उपलब्ध होना, दोनों अलग बातें हो सकती हैं। इसलिए अभ्यर्थी को नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

भारत और विदेशों में अवसर

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम, वृद्धजन देखभाल केंद्र, होम हेल्थकेयर कंपनियाँ और टेलीहेल्थ सेवाएँ युवाओं को अवसर दे सकती हैं। विदेशों में भी हेल्थकेयर सपोर्ट और केयरगिवर से जुड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी आवश्यक है।

प्रत्येक देश के अपने नियम, भाषा आवश्यकताएँ, योग्यता, अनुभव, प्रमाणपत्र, लाइसेंस, वीजा और भर्ती प्रक्रिया होती है। इसलिए किसी भी विदेशी अवसर के लिए केवल विश्वसनीय, अधिकृत और वैधानिक माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को विदेश रोजगार के नाम पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी को पैसा देने से बचना चाहिए। विदेश जाने से पहले सरकारी नियमों, आधिकारिक पोर्टल, भाषा प्रशिक्षण, अनुबंध, वेतन, रहने की व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित जानकारी अवश्य जाँचनी चाहिए।

शुरुआत कैसे करें?

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं में आगे बढ़ने के इच्छुक युवा निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. अपनी रुचि और स्वभाव का आकलन करें।
2. देखें कि वे मरीज सेवा, वृद्धजन देखभाल, अस्पताल व्यवस्था, फ्रंट डेस्क या डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में से किस क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं।
3. संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण संस्था की जानकारी लें।
4. पाठ्यक्रम की वर्तमान उपलब्धता, पात्रता, अवधि और प्रमाणपत्र की पुष्टि करें।
5. प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक अभ्यास पर विशेष ध्यान दें।
6. स्वच्छता, सुरक्षा, गोपनीयता और मरीज से संवाद की आदत विकसित करें।
7. प्रशिक्षण के बाद अस्पताल, क्लिनिक, होम केयर सेवा, वृद्धजन देखभाल केंद्र या स्वास्थ्य संस्था में इंटरनशिप/नौकरी के अवसर खोजें।
8. अनुभव के साथ अपनी भूमिका और कौशल बढ़ाएँ।

आवश्यक कौशल

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए निम्न कौशल उपयोगी हो सकते हैं :-

- सेवा भाव
- धैर्य और संवेदनशीलता
- स्वच्छता और सुरक्षा की समझ
- मरीज और परिजन से सही संवाद
- समय पर कार्य पूरा करना
- निर्देशों का पालन
- गोपनीयता बनाए रखना
- बुनियादी कंप्यूटर और मोबाइल उपयोग
- रिकॉर्ड संभालने की क्षमता
- टीम के साथ काम करने की योग्यता
- आपात स्थिति में शांत रहना
- शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना

कौन युवा इस क्षेत्र में आ सकते हैं?

यह क्षेत्र कई प्रकार के युवाओं के लिए उपयोगी हो सकता है:-

- दसवीं या बारहवीं पास युवा
- कौशल प्रशिक्षण लेना चाहने वाले युवा
- सेवा क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवा
- स्वास्थ्य संस्थानों में काम करना चाहने वाले युवा
- महिलाएँ और पुरुष दोनों
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा
- ऐसे युवा जिन्हें धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से काम करना पसंद हो
- होम केयर या वृद्धजन देखभाल सेवाओं में रुचि रखने वाले युवा

कुछ भूमिकाओं में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम हो सकती है, जबकि कुछ भूमिकाओं के लिए अधिक प्रशिक्षण, अनुभव या विशेष योग्यता की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए प्रत्येक पाठ्यक्रम और नौकरी के लिए अलग-अलग पात्रता अवश्य जाँचनी चाहिए।

आय और विकास की संभावनाएँ

इस क्षेत्र में आय भूमिका, प्रशिक्षण, अनुभव, शहर, संस्था और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। शुरुआत में युवा प्रशिक्षु, असिस्टेंट या सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं। अनुभव बढ़ने के

ड्यूटी असिस्टेंट, मल्टीस्किल्ड हेल्थ असिस्टेंट, इमरजेंसी केयर असिस्टेंट, फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, टेलीहेल्थ कोऑर्डिनेटर, होम केयर असिस्टेंट या केयरगिवर के रूप में आगे बढ़ा जा सकता है। जो युवा आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, वे स्वास्थ्य सेवा, नर्सिंग, अस्पताल प्रशासन, हेल्थकेयर मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंस, टेलीहेल्थ या संबंधित क्षेत्रों में आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण के विकल्प भी देख सकते हैं।

निष्कर्ष

हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाएँ युवाओं के लिए एक जिम्मेदार, उपयोगी और रोजगारोन्मुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केवल नौकरी नहीं, बल्कि मानव सेवा का अवसर भी है। मरीज, बुजुर्ग और उनके परिवार कठिन समय में भरोसेमंद सहयोग चाहते हैं। प्रशिक्षित, संवेदनशील और अनुशासित युवा इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। राजस्थान और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, वृद्धजन देखभाल की बढ़ती आवश्यकता, होम केयर सेवाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इस क्षेत्र में अवसर बढ़ सकते हैं। विदेशों में भी कुछ अवसर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सही प्रशिक्षण, भाषा, प्रमाणपत्र और वैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। जो युवा सेवा भाव, अनुशासन, स्वच्छता, गोपनीयता और सीखने की इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हेल्थकेयर सपोर्ट सेवाओं में करियर रोजगार, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा तीनों का माध्यम बन सकता है।

लेखिका संयुक्त निदेशक, संभागीय रोजगार कार्यालय, जयपुर में कार्यरत है।

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
चेन्नई - 600008
www.rrcmas.in

दिनांक: 03-10-2026

विवरण	दिनांक एवं समय
आवेदन प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	03/10/2026 को प्रातः 09:00 बजे
आवेदन बंद होने की तिथि एवं समय	02/11/2026 को रात्रि 23:59 बजे

विवरण	दिनांक एवं समय
आवेदन प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	03/10/2026 को प्रातः 09:00 बजे
आवेदन बंद होने की तिथि एवं समय	02/11/2026 को रात्रि 23:59 बजे

- #### 1.4 पदों एवं विधाओं का विवरण

क्र. सं.	विधा	पदों की संख्या	अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता
1	शास्त्रीय नृत्य	1	सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से किसी भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र.
2	मृदंगम	1	सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से मृदंगम में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र.

1. अनिवार्य न्यूनतम निर्धारित योग्यता

- टिप्पणी:** लिपिक-सह-टंकक की श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता प्राप्त करनी होगी. तब तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अनंतिम रहेगी.

(ii) तकनीशियन श्रेणियों के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ NCVT/SCVT द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप.

(III) तकनीशियन श्रेणियों के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ NCVT/SCVT द्वारा अनुमोदित आईटीआई.

(क) संबंधित क्षेत्र में अनुभव तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का वैध प्रमाणपत्र.

- टिप्पणी

(घ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और वैध व्यक्तिगत ई-मेल सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई से सभी सूचनाएं केवल वेबसाइट/SMS/ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल पता बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ङ) पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने के अधीन, चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदक की अभ्यर्थिता अनन्तिम रहेगी.

3.1 न्यूनतम और अधिकतम आयु

- किए जाने के अधीन अधिकतम आय-सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क्र. सं.	समुदाय/श्रेणी	अधिकतम आयु-सीमा में छूट अथवा अधिकतम अनुमेय आयु						
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	5 वर्ष						
2	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर-ब्रामी लेयर के अभ्यर्थी	3 वर्ष						
3	सत्यापन के बाद 6 माह से अधिक की सेवा पूरी कर चुके भूतपूर्व सैनिक	रक्षा सेवा की अवधि के बराबर तथा अतिरिक्त 3 वर्ष						
4	दिव्यांगजन अभ्यर्थी, 40% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता	<table border="1"> <tr> <th>अनारक्षित</th><th>अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर</th><th>अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति</th></tr> <tr> <td>10 वर्ष</td><td>13 वर्ष</td><td>15 वर्ष</td></tr> </table>	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	10 वर्ष	13 वर्ष	15 वर्ष
अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति						
10 वर्ष	13 वर्ष	15 वर्ष						
5	01/01/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामान्यतः अधिवासित रहे अभ्यर्थी	5 वर्ष						
6	न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा, चाहे निरंतर हो अथवा खंडित अवधि में, पूरी कर चुके सेवारत ग्रुप 'C', पूर्ववर्ती ग्रुप 'D' रेलवे कर्मचारी, आकरिमक श्रमिक तथा रेलवे के स्थानापन्न कर्मचारी	<table border="1"> <tr> <th>अनारक्षित</th><th>अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर</th><th>अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति</th></tr> <tr> <td>40 वर्ष वर्ष की आयु</td><td>43 वर्ष की आयु</td><td>45 वर्ष की आयु</td></tr> </table>	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष वर्ष की आयु	43 वर्ष की आयु	45 वर्ष की आयु
अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति						
40 वर्ष वर्ष की आयु	43 वर्ष की आयु	45 वर्ष की आयु						
7	रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों, जैसे रेलवे कैप्टीन, सहकारी समितियों एवं संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थी	प्रदान की गई सेवा की अवधि तक अथवा 5 वर्ष, जो भी कम हो						
8	विधवा, तलाकशुदा अथवा पति से न्यायिक रूप से अलग हुई, परंतु पुनर्विवाह न करने वाली महिला अभ्यर्थी	<table border="1"> <tr> <th>अनारक्षित</th><th>अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर</th><th>अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति</th></tr> <tr> <td>35 वर्ष</td><td>38 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr> </table>	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	35 वर्ष	38 वर्ष	40 वर्ष
अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-ब्रामी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति						
35 वर्ष	38 वर्ष	40 वर्ष						

अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए. दोनों तिथियाँ सम्मिलित हैं:

आयु-वर्ग	अधिकतम आयु हेतु जन्मतिथि की ऊपरी सीमा -			जन्मतिथि की निचली सीमा
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर-क्रीमी लेयर	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	
18 से 30 वर्ष	02/01/1997 से पूर्व नहीं	02/01/1994 से पूर्व नहीं	02/01/1992 से पूर्व नहीं	01/01/2009 के बाद नहीं

(क) कोई भी पद विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित नहीं है, तथापि, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत एवं अपलोड करना होगा,

- (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समुदाय प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर के व्यक्तियों/वर्गों से संबंधित नहीं है। उपयुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को अपनारक्षित माना जाएगा।
- (ग) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में पैरा 3.1 की सारणी के क्रमांक 4 के अनुसार छूट दी जाएगी। आयु में छूट का दावा करने के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी संबंधित दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना चाहिए।
- (घ) प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। प्रारूप रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनकी प्रतियाँ अपलोड की जानी चाहिए।
- (ङ) अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन के साथ प्रस्तुत 10वीं कक्षा/मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतथि ही स्वीकार की जाएगी। किसी प्रकार का अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को अन्याय घोषित कर दिया जाएगा।
- (च) अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उनके द्वारा जन्मतथि का दावा किए जाने और प्रशासन के अभिलेखों में दर्ज हो जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

	श्रेणी	परीक्षा शुल्क
(i)	नीचे उप-पैरा (ii) में उल्लिखित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए	रु. 500/- (केवल पांच सौ रुपये). अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने तथा लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में वास्तव में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को बैंक शुल्क काटने के बाद रु. 400/- वापस किए जाने का प्रावधान है.
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/40% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति/महिलाएं/अल्पसंख्यक* तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग**	रु. 250/- (केवल दो सौ पचास रुपये). अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने तथा लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में वास्तव में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को बैंक शुल्क काटने के बाद उक्त राशि वापस किए जाने का प्रावधान है.

- (क) *अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदाय से है।
परीक्षा शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय 'स्व-घोषणा' अपलोड करनी होगी। इसका प्रारूप रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वह उपर्युक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित है। दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ-पत्र प्रस्तुत न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

नौसेना डॉकयार्ड, नौसेना बेस, कारवाड़, कर्नाटक-581308 और नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा) में विनिर्दिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नामांकन (एवाई-2027-28/29)

1. नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ और नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में प्रशिक्षुता नियम, 1992 के साथ पठित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में नामांकन के लिए विभिन्न विनिर्दिष्ट ट्रेडों में आईटीआई उत्तीर्ण भारतीय नागरिकों (पुरुष/महिला दोनों) से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे दर्शाए गए वितरण के अनुसार नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ के लिए कुल 180 और नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा के लिए 30 रिक्तियां भरी जानी हैं:-

1.1. नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ में रिक्तियां: इन रिक्तियों के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवारों का प्रशिक्षण नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ में संचालित किया जायेगा।

क्र. सं.	प्रशिक्षुता ट्रेड क.	पात्र आईटीआई ट्रेड ख.	कुल	अना	अपिव	अजा	अजजा	पीडब्ल्यू बीडी	भूपूसै
एक वर्ष का प्रशिक्षण									
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	2	1	1	0	0	विभिन्न ट्रेडों में उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन क्षैतिज आरक्षण	विभिन्न ट्रेडों में उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन क्षैतिज आरक्षण
2.	इलेक्ट्रिशियन	इलेक्ट्रिशियन	12	6	3	2	1		
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	11	6	3	1	1		
4.	फिटर	फिटर	24	11	8	3	2		
5.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुरक्षण (आईसीटीएम)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुरक्षण (अथवा) सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अनुरक्षण (अथवा) कम्प्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल्स की मरम्मत और अनुरक्षण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम और एडवांस्ड मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक बुनियादी प्रशिक्षण	5	2	2	1	0		
6.	इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	3	1	1	1	0		
7.	मशीनिस्ट	मशीनिस्ट	2	1	1	0	0		
8.	मरीन इंजिन फिटर	मरीन इंजिन फिटर	15	7	5	2	1		
9.	मैकेनिक डीजल	मैकेनिक डीजल	12	7	3	2	0		
10.	मैकेनिक (एम्बेडिड सिस्टम एवं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी))	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम और एडवांस्ड मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत एम्बेडिड सिस्टम और पीएलसी में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ब्रॉड बेस्ड बुनियादी प्रशिक्षण	2	1	1	0	0		
11.	मैकेनिक औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (अथवा) मैकेनिक औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स (अथवा) मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (अथवा) तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम	9	4	3	1	1		
12.	मैकेनिक मशीन टूल अनुरक्षण	मैकेनिक मशीन टूल अनुरक्षण	2	1	1	0	0		
13.	मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स	मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स (अथवा) मैकेनिक मशीन टूल अनुरक्षण	11	6	3	1	1		
14.	मैकेनिक मोटर वाहन	मैकेनिक मोटर वाहन	2	1	1	0	0		
15.	मैकेनिक रेफ्र. और एसी	मैकेनिक रेफ्र. और एसी	6	2	2	1	1		
16.	ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल	ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल (अथवा) मशीनिस्ट((अथवा) टर्नर	3	2	1	0	0		
17.	पेंटर (जनरल)	पेंटर (जनरल)	5	2	2	1	0		
18.	पाइप फिटर	प्लंबर	5	2	2	1	0		
19.	शीट मेटल वर्कर	शीट मेटल वर्कर	2	1	1	0	0		
20.	शिपराइट वुड	बढ़ई (अथवा वुड वर्क तकनीशियन)	9	4	3	2	0		
21.	टेलर (जनरल)	सिलाई प्रौद्योगिकी (अथवा) ड्रेस मेकिंग	5	2	1	1	1		
22.	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	वेल्डर	9	4	3	2	0		
23.	टिग/मिग वेल्डर	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम और एडवांस्ड मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत टिग/मिग वेल्डिंग (अथवा) वेल्ड में फैब्रिकेशन (फिटिंग और वेल्डिंग) में ब्रॉड बेस्ड बुनियादी प्रशिक्षण.	5	2	2	1	0		
कुल (क)			161	76	53	23	9		
दो वर्ष का प्रशिक्षण:-									
24.	शिपराइट स्टील	फिटर	7	3	2	1	1		
25.	क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड (स्टील उद्योग) (15 माह)	10वीं उत्तीर्ण (फ्रेजर)	2	1	1	0	0		
26.	फोर्जर एवं हीट ट्रीटर	10वीं उत्तीर्ण (फ्रेजर)	5	2	1	1	1		
27.	रिगर	8वीं उत्तीर्ण (फ्रेजर)	5	2	1	1	1		
कुल (ख)			19	8	5	3	3		
कुल जोड़ (क) + (ख)			180	84	58	26	12	6	6

1.2. नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में रिक्तियां:- इन रिक्तियों का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में संचालित किया जायेगा।

एक वर्ष का प्रशिक्षण:-				
क्रम सं.	प्रशिक्षुता ट्रेड क.	आईटीआई ट्रेड पात्रता ख.	प्रति ट्रेड अधिकतम रिक्तियां ग.	कुल घ.
1.	शिपराइट वुड	बढ़ई	02	कुल 30
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	02	
3.	इलेक्ट्रिशियन	इलेक्ट्रिशियन	05	
4.	इलेक्ट्रिशियन एअरक्राफ्ट	इलेक्ट्रिशियन	05	
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	05	

(क्रमशः)

क्रम सं.	प्रशिक्षुता ट्रेड क.	आईटीआई ट्रेड पात्रता ख.	प्रति ट्रेड अधिकतम रिक्तियां ग.	कुल घ.
6.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुसंधान	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुसंधान (अथवा) सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अनुसंधान अथवा कम्प्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल्स की मरम्मत और अनुसंधान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम और एडवांस्ड मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ब्रॉड बेस्ड बुनियादी प्रशिक्षण	02	कुल 30
7.	इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	02	
8.	मशीनिस्ट	मशीनिस्ट	05	
9.	मैकेनिक इंस्ट्रुमेंट एअरक्राफ्ट	इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	05	
10.	मैकेनिक रडार एवं रेडियो एअरक्राफ्ट	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (अथवा) मैकेनिक औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स (अथवा) मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (अथवा) तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम	05	
11.	पेंटर (जनरल)	पेंटर (जनरल)	02	
12.	शीट मेटल वर्कर	शीट मेटल वर्कर	02	
13.	वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिकल)	वेल्डर	02	

अना-अनारक्षित, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी-बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति (100 प्रतिशत निःशक्तता ग्रस्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सक्षम अनुदेशकों/सुविधा की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षुता के लिए आवेदन न करें। यदि आवेदन किया जाता है, आगे बगैर किसी पत्राचार के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा) भूतपूर्व सैनिक-सशस्त्र बल कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे/भूतपूर्व सैनिक

टिप्पणी:-

टिप्पणी:- Xवीं/ VIIIवीं. जहां कहीं स्कूल/बोर्ड ग्रेड/सीजीपीए आदि प्रदान करते हैं, इसका बोर्ड द्वारा अपनाये गये नियमों के अनुरूप समकक्ष अंक प्रतिशतता का उल्लेख करना होगा। इसके बगैर उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जिन उम्मीदवारों ने ऐसे मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से अर्हता उत्तीर्ण की है जिसमें 'ग्रेड प्वाइंट' प्रणाली लागू है तो उन्हें आवेदन करने से पहले उपयुक्त प्राधिकारी से अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित कराना होगा।

- (क) यदि उम्मीदवार किसी ट्रेड विशेष के लिए विज्ञापित रिक्तियों से कम संख्या में अर्हता प्राप्त करते हैं, उस ट्रेड की रिक्तियों को निरस्त कर दिया जायेगा और ओवरऑल मैरिट तथा श्रेणी के आधार पर अन्य ट्रेडों में पुनःनियोजित किया जायेगा। पुनर्नियोजन के बाद, किसी ट्रेड में कुल रिक्तियां नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ के लिए प्रकाशित रिक्तियों की कुल संख्या के अलावा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।
- (ख) यदि किसी आरक्षण श्रेणी के लिए चिन्हित कोई रिक्ति सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन वर्ष के दौरान नहीं भरी जा पाती है, ऐसी रिक्ति को बैकलॉग के तौर पर अगले नामांकन वर्ष के लिए कैरीड फारवर्ड नहीं किया जायेगा। इसके अलावा संगत श्रेणी/ट्रेड में उम्मीदवारों के अनुपलब्धता के कारण, ऐसी खाली रिक्ति को इस श्रेणी से संबंधित नहीं होने वाले उम्मीदवारों से उस वर्ष की मैरिट सूची में उपलब्ध अनारक्षित पूल से भर दिया जायेगा जिससे कि प्रशिक्षण अवसंरचना का अधिकतम उपयोग और प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में निर्धारित किए अनुसार कुशल मानवशक्ति के राष्ट्रीय पूल में भी योगदान किया जा सके।
- (ग) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर यथा संशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस) के अनुरूप ऑनलाइन प्रशिक्षुता पोर्टल के जरिए नियोक्ता के साथ अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित होगा।
- (घ) जब किसी प्रशिक्षु ने स्वास्थ्य या वित्तीय कठिनाई या स्थान परिवर्तन, परिवहन या कैरियर में बदलावों या भाषा की बाधा के कारण पूर्ववर्ती प्रशिक्षुता को समाप्त कर दिया है, तो उस पर समान नियोक्ता या किसी अन्य नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता का अन्य अनुबंध करने के लिए प्रशिक्षुता से पहले तीन माह की प्रतीक्षा अवधि लागू होगी। महिलाओं के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।
- (ङ) कोई व्यक्ति अधिकतम दो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान ट्रेड में नहीं होगा। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वृत्तिका की लागत केवल पहली बार प्रशिक्षण तक सीमित होगी।

2. पात्रता शर्तें.

2.1. शैक्षणिक अर्हता.

क्रम सं.	ट्रेड क.	अर्हता ख.	प्रतिशतता ग.
1.	आईटी ट्रेड	Xवीं श्रेणी और आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी)	उत्तीर्ण
2.	गैर-आईटीआई ट्रेड (क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड (इस्पात उद्योग) और फोर्जर एवं हीट ट्रीटर)	Xवीं श्रेणी	उत्तीर्ण
3.	गैर-आईटीआई ट्रेड (रिगर)	VIIIवीं श्रेणी	उत्तीर्ण

- 2.2. आयु: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ नं. एमएसडीई-14(03)/2021 एपी-(पीएमयू) दिनांक 20 दिसंबर 21 के अनुरूप प्रशिक्षुता के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रशिक्षु के तौर पर नामांकन के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार 12 अप्रैल 27 को प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि को न्यूनतम आयु गैर खतरनाक ट्रेडों के लिए 14 वर्ष और खतरनाक ट्रेडों के लिए 18 वर्ष है। तदनुसार 12 अप्रैल 2013 को या इससे पहले जन्मे उम्मीदवार गैर खतरनाक ट्रेडों के लिए और 12 अप्रैल 2009 को या इससे पहले जन्मे उम्मीदवार खतरनाक ट्रेडों के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार को जानकारी होनी चाहिए कि नौसेना स्थापनाओं में कुशल ट्रेड्समैन के पद के लिए भर्ती नियमों में ऊपरी आयु सीमा निर्धारित है और यह नौसेना स्थापनाओं में कुशल ट्रेड्समैन के पद के लिए आवेदन करते समय डॉकयार्ड अग्रेंटिस स्कूल, कारवाड़ के पूर्व नौसेना प्रशिक्षुओं के लिए लागू होगी।

- 2.3. शारीरिक मानदंड. शारीरिक फिटनेस के मानदंड प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुता नियम 1992, अनुसूची-II के नियम 4 के अनुरूप होंगे। उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता नियमों में विनिर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

- 2.4. पूर्ववर्ती प्रशिक्षण: कोई व्यक्ति अधिकतम दो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण उसी ट्रेड में होगा। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वृत्तिका की लागत केवल पहली बार के प्रशिक्षण तक सीमित होगी।

- 2.5. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि: प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षुता नियम 1992 के नियम 7 और अनुसूची 1 के अनुरूप होगी।

3. आरक्षण.

- 3.1. अजा/अजजा के लिए: प्रशिक्षुता नियम, 1992 के नियम 5 की अनुसूची II के साथ पठित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अध्याय II के अनुच्छेद 3ए(1) और (2) के अनुरूप अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं, बशर्ते कि जब अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से किसी से भी संबंधित विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्ति यदि उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों अथवा जो भी मामला हो अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों से भरे जा सकते हैं और प्रशिक्षण स्थान यदि ऊपर दिए गए तरीके से भी नहीं भरे जाते हैं तो खाली प्रशिक्षण स्थानों को ऐसे व्यक्तियों से भर लिया जायेगा जो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं हैं।

- 3.2. अपिव के लिए: अपिव उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अध्याय II के अनुच्छेद 3बी(1) और (2) तथा पत्र सूचना कार्यालय/भारत सरकार/सामाजिक न्याय (क्रमशः)

और अधिकारिता मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14 अगस्त 14 के अनुरूप आरक्षित हैं। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग में रिक्तियां अपिब से नहीं भरी जा सकती हैं, तो इस तरह खाली रिक्तियों को ऐसे उम्मीदवारों से भर लिया जायेगा जो कि अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं हैं।

3.3. बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी): पीडब्ल्यूबीडी अधिनियम 1995 और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण मैनुअल के अध्याय III के खंड 3.6.2 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कुल रिक्तियों का 3 प्रतिशत इनके लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण का लाभ लेने के लिए निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और सरकारी अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड से जारी संगत नवीनतम वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.4. सशस्त्र बल कार्मिक/भूतपूर्व सैनिक के बच्चे: प्रशिक्षुता प्रशिक्षण मैनुअल के अध्याय III के अनुच्छेद 3.6.3 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कुल रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षित है।

4. वृत्तिका: प्रशिक्षुओं को प्रति माह देय न्यूनतम दर करिकुलम में शामिल अर्हताओं के अनुरूप होगी। प्रशिक्षुओं को देय वृत्तिका की दर प्रति माह निम्नानुसार होगी। (नामत: प्रशिक्षुता नियम, 1992 का नियम 11 प्रासंगिक है):-

क्रम सं.	श्रेणी/ट्रेड क.	प्रशिक्षण अवधि ख.	वृत्तिका (प्रति माह) ग.
1.	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	01-12 माह	रु. 9600/-
2.	क्रेन ऑपरेटर ओवरहैड (इस्पात उद्योग)	01 - 03 माह	रु. 4100/-
		04-12 माह	रु. 8200/-
		13-15 माह	रु. 9020/-
3.	फोर्जर और हीट ट्रीटर	01 - 03 माह	रु. 4100/-
		4 - 12 माह	रु. 8200/-
		13-24 माह	रु. 9020/-
4.	रिगर	01 - 03 माह	रु. 3400/-
		04-12 माह	रु. 6800/-
		13-24 माह	रु. 7480/-

5. आवेदन कैसे करें: इच्छुक पात्र उम्मीदवारों के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अधीन प्रशिक्षुता वेब पोर्टल पर पंजीकरण के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा:-

5.1 पंजीकरण की यह प्रक्रिया आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आधार में वर्णित नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम का एसएससी प्रमाण पत्र के साथ मिलान होना चाहिए। अन्यथा एसएससी प्रमाणपत्र के अनुसार आधार कार्ड में विवरण में परिवर्तन कराएं।

5.2 वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in को लॉग ऑन करें। वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

5.3 होम पेज में उम्मीदवार लॉगिन/पंजीकरण मॉड्यूल पर क्लिक करें। उम्मीदवार का पंजीकरण शीर्षक से पेज खुलेगा। उम्मीदवार को फार्म में अपना निजी विवरण, संपर्क विवरण भरना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रस्तुत करें।

5.4 आवेदन प्रस्तुत होने के बाद प्रोफाइल सक्रियता के लिए ई-मेल आईडी पर सिस्टम सृजित ऑटो मेल भेजा जायेगा। उम्मीदवारों को अपनी प्रोफाइल को सक्रिय करना होगा।

5.5 www.apprenticeshipindia.gov.in के होम पेज पर वापस जाएं। होम पेज में उम्मीदवार लॉगिन/रजिस्टर मॉड्यूल पर क्लिक करें। प्रोफाइल खोलने के लिए उम्मीदवार अपना पंजीकृत ई-मेल आईडी डाल कर सबमिट पर क्लिक करें। प्रमाणन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

5.6 लॉगिन करने के उपरांत उम्मीदवार को अपना निजी विवरण जैसे कि जन्म तिथि (जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर केवल 10वीं श्रेणी अंक शीट या सक्षम अधिकारी से जारी जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें), पिता का नाम, माता का नाम और पता, शैक्षणिक अर्हताएं (केवल 10वीं श्रेणी और आईटीआई), ट्रेड वरीयता, बैंक खाता विवरण और वैध आधार नंबर की प्रविष्टि करें।

5.7 उम्मीदवार की प्रोफाइल पूरी होने पर उम्मीदवारों के लिए वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन स्टेप्स का पालन करना अपेक्षित है:-

5.7.1. स्टेप 1: वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in में लॉग ऑन करें।

5.7.2. स्टेप 2: डाउनलोड मैनुअल (दाईं तरफ कोने में सबसे ऊपर) से प्रशिक्षुता अवसरों पर क्लिक करें।

5.7.3. स्टेप 3: “स्थापना नाम से खोजें” में “नौसेना डॉकयार्ड कारवाड़” की प्रविष्टि करें। अवसरों की सूची प्रदर्शित होगी।

5.7.4. स्टेप 4: अवसरों की सूची से वांछित/पात्र प्रशिक्षुता ट्रेड के लिए एप्लाई क्लिक करें।

5.7.5. स्टेप 5: “उत्तर कन्नड़” का चयन करें।

5.7.6. स्टेप 6: “ओके” पर क्लिक करें।

5.8. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने पर, उम्मीदवार प्रोफाइल खोलें, डाउनलोड करें और वेब पोर्टल से प्रिंट आउट ले लें तथा नीचे वर्णित दस्तावेजों के साथ “उम्मीदवार की प्रोफाइल”

8 नवम्बर, 2026 तक “प्रभारी अधिकारी, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नौसेना डॉकयार्ड, नेवल बेस, कारवाड़, कर्नाटक-581 308” के पास स्पीड/पंजीकृत डाक से भेज दें:-

5.8.1. एसएससी/मैट्रिक/10वीं श्रेणी अंक शीट की स्वयं सत्यापित प्रति (रिगर के लिए, 8वीं श्रेणी अंक शीट)।

5.8.2. आईटीआई अंक शीट की स्वयं सत्यापित प्रति (सेमेस्टरवार अंक शीट और समेकित)।

5.8.3. श्रेणी प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति (केवल अपिब/अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए)।

5.8.4. निःशक्तता प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति (केवल पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए)।

5.8.5. आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति

5.8.6. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्थापना का विकल्प चुनने के लिए घोषणा प्रमाणपत्र अर्थात् नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ या नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। प्रमाणपत्र का प्रोफॉर्म निम्नानुसार है:-

घोषणा प्रमाण पत्र

मैं एतद्वारा बयान करता हूँ कि मैं नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ (अथवा) नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नामांकन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

(कृपया स्थापना के विकल्प पर टिक करें और अन्य विकल्प को काट दें)

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

तिथि:

स्थान:

6. चयन प्रक्रिया: पैरा 1 में इंगित रिक्तियों की संख्या के लिए लागू नीति के अनुरूप ट्रेडवार लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों (उक्त पैरा 2 में यथा वर्णित सभी मानदंड पूरा करने वाले और विज्ञापन की तिथि बंद होने तक प्राप्त आवेदनों) का अल्पसूचीकरण किया जायेगा। चयन और तत्स्थानी मैरिट के संबंध में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम ज्वाइनिंग पत्र के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

6.1 प्रारंभिक मैरिट सूची: वैध आवेदनों वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए प्रारंभिक मैरिट सूची में रखा जायेगा। प्रारंभिक मैरिट सूची ट्रेड और श्रेणी वार तैयार की जायेगी। प्रारंभिक मैरिट सूची तैयार करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

6.1.1 आई टी आई ट्रेडों के साथ उम्मीदवार: आईटीआई ट्रेडों के लिए प्रारंभिक मैरिट सूची आईटीआई और 10वीं श्रेणी में प्राप्त उनकी कुल अंक प्रतिशतता के आधार पर तैयार की जायेगी। आगे बराबरी के मामले में उम्मीदवारों की जन्म तिथि की तुलना की जायेगी और बड़े व्यक्ति को अन्यो से ऊपर रखा जाएगा। आगे बराबरी के मामले (बढ़ते क्रम में) उम्मीदवारों के प्रथम नाम अक्षर क्रम के उपरांत मध्य नाम, उपनाम (अक्षर 'ए' से आरंभ होकर 'जेड' तक) के लिए विचार करते हुए मैरिट क्रम तैयार करने का निर्णय लिया जायेगा।

(क्रमशः)

6.1.2 गैर आईटीआई ट्रेडों वाले उम्मीदवार: गैर आईटीआई ट्रेडों के लिए प्रारंभिक मैरिट सूची उनके 8वीं श्रेणी (रिगर ट्रेड के लिए) में, क्रेन ऑपरेटर ओवरहैड (इस्पात उद्योग) के लिए और फोर्जर और हीटर ट्रेडों के लिए 10वीं श्रेणी में प्राप्त उनकी अंक प्रतिशतता के आधार पर तैयार की जायेगी। आगे बराबरी के मामले में उम्मीदवारों की जन्म तिथि की तुलना की जायेगी और बड़े व्यक्ति को अन्यो से ऊपर रखा जाएगा। आगे बराबरी के मामले (बढ़ते क्रम में) उम्मीदवारों के प्रथम नाम के अक्षर क्रम के उपरांत मध्य नाम, उपनाम (अक्षर 'ए' से आरंभ होकर 'जेड' तक) के लिए विचार करते हुए मैरिट क्रम तैयार करने का निर्णय लिया जायेगा।

6.1.3 लिखित परीक्षा: प्रारंभिक मैरिट सूची में अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों को प्रत्येक ट्रेड और श्रेणी में उपलब्ध प्रत्येक रिक्ति के लिए 1:20 के अनुपात में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए वाया ई-मेल (केवल) ई-प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 06 अना रिक्तियां होने पर लिखित परीक्षा के लिए मैरिट के अनुसार 120 सर्वोच्च उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा जनवरी 2027 में कारवाड़ में निर्धारित की गई है।

6.1.4 लिखित परीक्षा की योजना: कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी और इसमें गणित (35 अंक), सामान्य विज्ञान (35 अंक) और सामान्य ज्ञान (30 अंक) पर आधारित बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा की अवधि दो घण्टा होगी। कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में द्विभाषी होगा।

6.1.5 अंतिम मैरिट सूची: कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्हक अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर एक मैरिट सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर ट्रेड और श्रेणीवार अंतिम मैरिट सूची और साथ में 20 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। इसके उपरांत, अंतिम मैरिट सूची में लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा और मैरिट स्थान के आधार पर (मेडिकल फिटनेस सहित) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर बुलावा पत्र जारी किया जायेगा। दो स्थापनाओं के लिए दो अलग-अलग मैरिट सूची, अर्थात एक नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ के लिए और एक नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा) के लिए तैयार की जाएगी।

7. भावी उम्मीदवारों को सूचना: निर्धारित तिथियों में कोई परिवर्तन, संशोधन होने आदि के मामले में पंजीकृत मोबाइल आईडी पर सूचित किया जायेगा।

8. ठहरना/खानपान/यात्रा व्यय: नौसेना डॉकयार्ड द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को अपने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चयन प्रक्रिया के दौरान यात्रा खर्च देय नहीं है।

9. चिकित्सा जांच- चयनित उम्मीदवारों को जिला अस्पताल के जरिए चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और प्रशिक्षुता नियम, 1992 के नियम 4 तथा अनुसूची II के अनुसार योग्य घोषित होने चाहिए। उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय जिला अस्पताल के कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के अस्पताल सर्जन से विधिवत हस्ताक्षरित नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

10. पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र: उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के दौरान पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

11. प्रशिक्षण की शुरुआत/प्रशिक्षुता अनुबंध: अंत में, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रशिक्षुता अनुबंध का प्रस्ताव किया जायेगा और उन्हें उल्लिखित तिथि (संभवतः 12 अप्रैल, 2027) का डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल (डीएएस), नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कूल (एटीएस), नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में ज्वाइन करना होगा।

12. हॉस्टल सुविधा

12.1 नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़: डीएएस, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयनित बाहरी उम्मीदवारों के लिए पहले आओ पहले पाओ आधार पर हॉस्टल में सीमित आवास सुविधा (केवल लड़कों के लिए) उपलब्ध है।

12.2 नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा: नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए कोई हास्टल सुविधा उपलब्ध, नहीं होगी।

13. उम्मीदवारी का निरस्तीकरण: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले सभी अनुदेशों को अच्छी तरह और ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उनके आवेदन/उम्मीदवारी को निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है:-

13.1 उम्मीदवार की अपूर्ण प्रोफाइल

13.2 नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़/नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा में निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता, आवेदन बंद होने की तिथि को नहीं होना।

13.3 कम आयु होना या जन्म तिथि नहीं भरना या गलत भरना।

13.4 दोहरे या अनेक आवेदन प्रस्तुत करना।

13.5 उम्मीदवार की प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का एसएससी/मैट्रिक/10वीं श्रेणी/आईटीआई प्रमाणपत्र में मिलान न होना।

13.6 आवेदित ट्रेड और आईटीआई ट्रेड प्रमाणपत्र के बीच असंगतता।

13.7 प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पहले से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। यदि चयनित उम्मीदवार किसी फर्म में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता पाया गया या प्रतीक्षा अवधि में है, उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

13.8 कोई अन्य अनियमितता, जिससे एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी को अवैध ठहराया जा सकता है।

14. कोई दायित्व नहीं: प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुरूप, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़/नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड (गोवा), डाबोलिम, गोवा या किसी अन्य सरकारी एजेंसी पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने पर रोजगार उपलब्ध, कराने का दायित्व नहीं होगा।

15. सामान्य सूचना: उम्मीदवारों को निम्नलिखित अनुदेश ध्यानपूर्वक नोट करने की सलाह दी जाती है:-

15.1 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस नामांकन के लिए किसी को भी, जो भी कोई हो, कोई धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

15.2 उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर सूचनाएं/अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अपेक्षित है।

15.3 सभी को सलाह दी जाती है कि वे इस नामांकन के लिए किसी दलाल/कथित एजेंटों के बहकावे में न आएँ।

15.4 आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी सिफारिश किए जाने से उसकी उम्मीदवारी अयोग्य हो जाएगी।

15.5 उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में छद्मरूपण करने या छद्मरूपण के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने का प्रयास अथवा पड़ौसी उम्मीदवारों से नकल नहीं करनी चाहिए, पुस्तकों और किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

15.6 तथ्यों को छिपाने या जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

15.7 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पाया गया, उम्मीदवार को सरसरी तौर पर ही प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और भविष्य में भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किसी परीक्षा/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.8 पात्रता, किसी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सभी मामलों में एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकर होगा तथा इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

15.9 विनिर्दिष्ट ट्रेड अप्रेंटिसिस के विनियोजन की शर्तों और निबंधन में बाद में कोई भी परिवर्तन नियमानुसार लागू होंगे। भारतीय नौसेना के पास इस विज्ञापन के अधीन यथावश्यक और लागू नियमों के अनुरूप बाद में कोई भी परिवर्तन/संशोधन/विस्तार शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।

15.10 लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा के लिए प्रवेश हेतु सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह अनंतिम, उनके निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के विषयाधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय दस्तावेजों के सत्यापन में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार कोई भी पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता है तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी भारतीय नौसेना/एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

15.11 किसी दलाल/एजेंट/नामांकन के लिए राशि की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में शिकायत प्रभारी अधिकारी, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नौसेना डॉकयार्ड, कारवाड़ को संगत प्रमाण के साथ ई-मेल oidcas-kar@navy.gov.in पर सूचित किया जा सकता है। उम्मीदवार और मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। किसी गुमनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(पृष्ठ 3 का शेष)

(ख) **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) से तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थियों से है जिनकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- प्रतिवर्ष से कम है।

नीचे उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। इसे जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र-शीर्ष पर जारी किया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय इसे अपलोड करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इसका मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी:-

- जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद।
- केंद्र सरकार की किसी मान्यताप्राप्त गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत जारी बीपीएल कार्ड अथवा कोई अन्य प्रमाण-पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
- केंद्रीय मंत्री देश में कहीं के भी किसी व्यक्ति की संस्तुति कर सकते हैं।
- जिस जिले में वे सामान्यतः निवास करते हैं, उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्यसभा के वर्तमान सांसद।

4.0 शुल्क का भुगतान

- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में शुल्क का भुगतान केवल भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
- आवेदन-पत्र में दर्ज विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा।
- भुगतान स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराकर डेबिट कार्ड/ईटर्नेट बैंकिंग आदि से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान का लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
- लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-रसीद तैयार होगी, जिसे अभ्यर्थी को सुरक्षित/प्रिंट करके अपने पास रखना होगा।
- ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा न होने पर कृपया पुनः ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को उस लाभार्थी बैंक खाते का सही विवरण देना होगा, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे- लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड। इससे ऊपर पैरा 4 (i) और (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को बैंक शुल्क की कटौती के बाद शुल्क वापस करने में सुविधा होगी।
- अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- उपयुक्त पैरा 4 के अनुसार धनवापसी, बैंक शुल्क काटने के बाद केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को की जाएगी, जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में उपस्थित होते हैं।
- नकद/चेक/केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट अथवा मनीऑर्डर के साथ प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और निरस्त कर दिए जाएंगे।
- प्रक्रिया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस/हस्तांतरित/समायोजित नहीं किया जाएगा।

5.0 भर्ती प्रक्रिया

- भर्ती लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), उसके बाद व्यावहारिक प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगी। नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण करना होगा तथा चयनित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा वर्गीकरण के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ और अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता वाला पाया जाना चाहिए।
- सभी प्रकार से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों पर निम्नलिखित आधार पर विचार किया जाएगा:-

परीक्षा/मूल्यांकन	अंक
लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा/ CBT में ऋणात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। लिखित परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक: अनारक्षित-40%, ओबीसी-30%, एससी-30%, एसटी-25%	50 अंक
संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक प्रदर्शन सहित प्रतिभा परीक्षा	35 अंक
प्रशंसापत्रों/प्रमाण-पत्रों/पुरस्कारों के माध्यम से प्रतिभा की पुष्टि	15 अंक
कुल	100 अंक

- लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), व्यावहारिक प्रदर्शन/दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय और स्थान आरआरसी-चेन्नई द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और दक्षिण रेलवे के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.rreemas.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा, व्यावहारिक प्रदर्शन/दस्तावेज सत्यापन स्थगित करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सामान्य ज्ञान, अंकगणित और सांस्कृतिक विषय शामिल हो सकते हैं। लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी।
- अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से केवल एक भाषा चुनकर आवेदन-पत्र में उसका उल्लेख करना होगा:- **हिंदी अथवा अंग्रेजी**

- अभ्यर्थी की पात्रता की स्थिति आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के बुलावा-पत्र से संबंधित जानकारी आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

- व्यावहारिक प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन:

- लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता क्रम के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को व्यावहारिक प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
- आवेदक को अपना वाद्ययंत्र स्वयं लाना होगा। व्यावहारिक प्रदर्शन के समय रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों को कोई वाद्ययंत्र उपलब्ध नहीं कराएगा।

- आवेदन कैसे करें

- पात्र अभ्यर्थी आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट www.rreemas.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

- भर्ती से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

- अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सुपाठ्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

- अधिसूचना के पैरा 2 में निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष दस्तावेज की स्कैन की हुई स्व-सत्यापित प्रति।

- अधिसूचना के पैरा 1.4 में निर्धारित अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई स्व-सत्यापित प्रति।

- जन्मतिथि के प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई स्व-सत्यापित प्रति- 10वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र या जन्मतिथि दर्शाने वाली अंकतालिका अथवा जन्मतिथि दर्शाने वाला विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र।

- एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति

- प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई स्व-सत्यापित प्रति।

- पैरा 3.1 के अंतर्गत आयु में छूट तथा पैरा 4 के अंतर्गत परीक्षा शुल्क से छूट का दावा करने के प्रमाणस्वरूप संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित/सत्यापित प्रतियां।

- स्कैन किया हुआ फोटो/फोटो की सॉफ्ट कॉपी

- अभ्यर्थियों को अपना रंगीन फोटो अपलोड करना होगा। फोटो का आकार 3.5 सेमी × 3.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 DPI तथा फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो आवेदन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें अभ्यर्थी का बिना टोपी तथा भूप के चरमे के सामने से लिया गया स्पष्ट चित्र होना चाहिए।

- स्कैन किए हुए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी

- अभ्यर्थियों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर का आकार 3.5 सेमी × 2.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 DPI तथा फाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर अंग्रेजी अथवा हिंदी में, प्रवाहपूर्ण हस्तलेख में होने चाहिए; वे बड़े अक्षरों अथवा अलग-अलग अक्षरों में नहीं होने चाहिए।

- अमान्य आवेदन/निरस्तीकरण

- निम्नलिखित कमियां वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे:-

- स्कैन किए हुए हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- स्कैन किए हुए फोटो के बिना आवेदन।
- ऐसा स्कैन किया हुआ फोटो जिसमें अभ्यर्थी ने भूप का चश्मा, टोपी, विंग अथवा रंगीन चश्मा पहना हो या फोटो विकृत, छोटे आकार का अथवा पहचान में न आने योग्य हो।

- पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और सांस्कृतिक योग्यता के बिना आवेदन।
- दावा किए जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित प्रपत्र में जारी वैध समुदाय प्रमाण-पत्र के बिना आवेदन।
- दावा किए जाने पर आयु में छूट अथवा शुल्क में छूट के प्रमाणस्वरूप संबंधित प्रमाण-पत्रों के बिना आवेदन।
- आयु के प्रमाण के बिना आवेदन।
- अधिक आयु अथवा कम आयु वाले अभ्यर्थियों के आवेदन; अथवा ऐसे आवेदन जिनमें अपलोड किए गए जन्मतिथि प्रमाण-पत्र अस्पष्ट हों या जन्मतिथि दर्ज न की गई हो अथवा गलत भरी गई हो।
- किसी भी रूप में गलत/अधूरे आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।
- एक ही पद के लिए सूचना और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन अथवा अलग-अलग विवरण के साथ एकाधिक आवेदन।
- जहां लागू हो, रु. 500/- अथवा रु. 250/- परीक्षा शुल्क के बिना आवेदन अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क।
- आरआरसी चेन्नई द्वारा देखी गई और अमान्य मानी गई किसी अन्य प्रकार की अनियमितता।

- सामान्य निर्देश

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं।

- आयु, समुदाय, शैक्षिक योग्यता तथा सांस्कृतिक योग्यता आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए। शुल्क में छूट आदि का दावा करने के लिए आवश्यक अन्य प्रमाण भी ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने चाहिए।

- अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्रमाण-पत्रों के साथ अंग्रेजी/हिंदी में सत्यापित अनुवाद संलग्न होना चाहिए।

- ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाएं सत्य हैं, इसे वैध दस्तावेजों से प्रमाणित करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

- यात्रा व्यय: केवल एससी/एसटी अभ्यर्थियों को उनके निकटतम रेलवे स्टेशन से लिखित परीक्षा स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का निःशुल्क पास जारी किया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी आधार पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

- चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/आवास नहीं दिया जाएगा।

- रेलवे सहित किसी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरसी चेन्नई में आवेदन कर सकते हैं। चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा; ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

- रेलवे प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में हुई अनजानी त्रुटि अथवा चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- रेलवे प्रशासन इस रोजगार सूचना में अधिसूचित पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के किसी भाग अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी चरण में, बिना कोई कारण बताए, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग करने, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाने अथवा प्रतिरूपण का प्रयास करने वाला अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसे सभी रेलवे भर्ती बोर्डों/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों की परीक्षाओं में आजीवन भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी नियुक्ति से भी वंचित किया जाएगा और यदि वह पहले से नियुक्त है तो सेवा से हटा दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी विधिक अभियोजन के भी भागी होंगे।

- सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक अपने आवेदन की स्थिति अर्थात् पात्र/अपात्र, लिखित परीक्षा/व्यावहारिक प्रदर्शन का परिणाम, दस्तावेज सत्यापन की तिथि और पैनल की जानकारी के लिए आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट www.rreemas.in देखते रहें।

- कदाचार

- अभ्यर्थी ध्यान दें कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान/बाद में निम्नलिखित में से किसी एक का दोषी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता/नियुक्ति किसी भी चरण पर बिना सूचना के निरस्त/समाप्त की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी किया जा सकता है।

- अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन भरते समय कोई झूठा विवरण प्रस्तुत न करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं।

- अभ्यर्थी भर्ती के संबंध में अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए किसी राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास न करें। किसी भी चरण पर ऐसा उल्लंघन अभ्यर्थिता को अयोग्य घोषित करने का आधार होगा, भले ही अभ्यर्थी अन्यथा पात्र हो।

- चयन प्राप्त करने अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए जाली/कूटरचित प्रमाण-पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करना अथवा दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना।

- किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना अथवा प्रतिरूपण की व्यवस्था करना।

- भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना।

- महत्वपूर्ण परामर्श

- रेलवे में नौकरी दिलाने के झूठे दावों, प्रभाव अथवा अनुचित एवं अनैतिक साधनों के उपयोग से अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करने वाले नौकरी दिलाने वाले गिरोहों से सावधान रहें। दक्षिण रेलवे ने किसी एजेंट अथवा प्रशिक्षण संस्था को नियुक्त नहीं किया है। दक्षिण रेलवे की सभी भर्तियां पूर्णतः योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

- अध्यक्ष

- रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, चेन्नई

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वें रु 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट उप निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

-संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
ऋषभ मंडल
आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
उप निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता :- उप निदेशक (प्रकाशन), दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in